न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

रिव्यू 2257-II-15

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /2015 जिला–शहडोल

शाशिकान्त पुत्र श्री राम मिलन यादव
निवासी – मिठौरी, तहसील सोहागपुर,
थाना व जिला–शहडोल (म.प्र.)
...... आवेदक

विरूद्ध

दिवाकर दीक्षित एड.
15-2-15

श्री दिवाकर दीक्षित, अधि.
द्वारा आज दि. 15.2.15 को
प्रस्तुत

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1– आजाद सिंह पुत्र श्री अवध प्रसाद
2– केमली बाई बेवा अवध प्रसाद
3– शैलकला पति स्व. श्री अजय सिंह
4– अंकु पुत्र श्री अजय सिंह नाबालिग
5– साक्षी पुत्र श्री अजय सिंह नाबालिग
6– अंकुश पुत्र श्री अजय सिंह नाबालिग जरिये बलि सरपरस्त माँ शैलकला बेवा स्व. श्री अजय सिंह
7– लोकनाथ पुत्र श्री बल्ला राठौर
8– सुरेश पुत्र श्री बल्ला राठौर
निवासी – पतखई, तहसील सोहागपुर, थाना व जिला शहडोल (म.प्र.)
9– मु. मोलिया बेवा राम मिलन यादव
10– रामफल पिता स्व. श्री राम मिलन यादव
11– राजकमल पुत्र स्व. श्री राम मिलन यादव
12– गेंदिया पुत्र स्व. श्री राग मिलन यादव
13– रामरती पुत्री स्व. श्री राम मिलन यादव
14– पार्वती पुत्री श्री स्व. राम मिलन यादव
15– मु. चिरौंजिया बेवा रामलाल यादव
16– डूमन प्रसाद पुत्र स्व. श्री रामलाल यादव
17– बिहारीलाल पुत्र स्व. श्री रामलाल यादव
18– श्याम लाल पुत्र श्री रामलाल यादव
निवासी–ग्राम रतहर, थाना तहसील गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.)
19– सुखिया यादव पुत्री श्री भुखिया यादव
20– जगवतिया उर्फ लल्ली यादव पुत्री भुखिया यादव
निवासी – ग्राम बहेरहा, थाना तहसील गोहपारू, जिला शहडोल (म.प्र.)
21– मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला शहडोल (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 3102-III/2013 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 11.02.2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन।

प्रकरण कमांक रिव्यू 2257–दो/15 जिला शहडोल

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक रिव्यू 2257–दो/15 जिला शहडोल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05–11–2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया। यह रिव्यू आवेदन इस न्यायालय के निगरानी प्रकरण कमांक 3102–तीन/2013 में पारित आदेश दिनांक 11–2–15 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 51 सहपठित व्यवहार प्रकिया संहिता 1908 की धारा 114 तथा आदेश 47 नियम 1 में पुर्नविलोकन हेतु निम्नलिखित आधारों का उल्लेख किया गया है :– 1 किसी नई और महत्वपूर्ण बात या साक्ष्य का पता चलना जो सम्यक् तत्परता के पश्चात भी उस समय जब आदेश किया गया था, उस पक्षकार के ज्ञान में नहीं थी अथवा उसके द्वारा पेश नहीं की जा सकती थी, या 2 मामले के अभिलेख से ही प्रकट कोई भूल या गलती, या 3 कोई अन्य पर्याप्त कारण इस प्रकार आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्कों में ऐसी कोई साक्ष्य या बात नहीं बताई गई है, जो आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। उनके द्वारा अभिलेख से परिलक्षित त्रुटि भी नहीं बतलाई गई है। केवल इस न्यायालय द्वारा	

निकाले गये निष्कर्षों में त्रुटि बतलाने का प्रयास किया गया है, जो पुनर्विलोकन का आधार नहीं हो सकता है। अतः यह पुनर्विलोकन आधारहीन होने से निरस्त किया जाता है।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य